

बड़ौदा यू.पी.बैंक
Baroda U.P. Bank

प्रधान कार्यालय : बुन्द विहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर-273016
शिपिर कार्यालय : ए-1, सिविल लाईन, रायबरेली-229001 फोन : 0535-2702075
e-mail : ho@barodauprb.co.in

BARODA U.P. BANK
REGIONAL OFFICE AMETHI
(Sponsored by Bank of Baroda)

BARODA U.P. BANK
Regional Office AMETHI
Near Piyush Petrol Pump Raebareli to Sultanpur Road
Gauriganj Amethi, 227409

Subject: Tender for Non Comprehensive Amc of Alert Alarm system and CCTV of Amethi Region for
period 01.06.2022 to 31.05.2023

ISSUE OF TENDERS FROM

11.05.2022 TO 24.05.2022

LAST DATE OF SUBMISSION

24.05.2022 up to 3.00 pm

TENDER OPENING DATE

24.05.2022 TIME 4.30 PM

Address for Submission of tenders/bid/proposal-

The Regional Manager

Baroda U.P. Bank

Amethi

Regional Office, Near Piyush Petrol pump

Raebareli to Sultanpur Road,

Gauriganj, 227409 (U.P.)

Email id- pe.roamet@barodauprb.co.in


सीसीटीवी एवं अलर्ट अलार्म सिस्टम के अनुरक्षण व रखरखाव हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए योग्यता व पात्रता

1. बिडर्स के पास न्यूनतम 2-3 वर्ष का उक्त प्रकार के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, फर्म रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
2. बिडर्स को कभी किसी संस्था द्वारा असंतोषजनक कार्य हेतु ब्लैकलिस्ट न किया गया हो, इस आशय का स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. बिडर्स का विगत तीन वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर रुपये दस लाख होना चाहिए। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा टर्नओवर की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
4. निविदा प्रस्ताव के साथ वैध पैन एवं जीएसटी नंबर की प्रति संलग्न करें।
5. बिडर्स केवल उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे रजिस्टर्ड वेंडर ही हों सकते हैं।
6. यदि बिडर्स का टेकनीशियन अमेठी जिले में निवास करता हों तो उनका नाम, फोन नम्बर व निवास स्थान संलग्न करें। ऐसे बिडर्स को प्राथमिकता दी जायेगी।

"अन्य नियम व शर्तें:

1. सफल वेंडर /फर्म/कंपनी को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया जाएगा तथा त्रैमासिक आधार पर प्रो-रेटा भुगतान किया जाएगा।
2. वेंडर द्वारा प्रत्येक त्रैमास में शाखाओं/कार्यालय की न्यूनतम एक विजिट करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त जब भी सीसीटीवी/अलर्ट अलार्म में किसी खराबी की सूचना शाखा/कार्यालय द्वारा दी जाएगी तो उसे अधिकतम 24 से 48 घंटे के अंदर अटेंड करना अनिवार्य होगा। वेंडर को शिकायत दर्ज कराने हेतु एक डेडिकेटेड ई-मेल आईडी एवं मोबाइल/फोन नंबर उपलब्ध कराना होगा।
3. कार्य आदेश जारी होने के प्रथम त्रैमास में वेंडर को क्षेत्र की समस्त शाखाओं/कार्यालय का भ्रमण करके सीसीटीवी/अलर्ट अलार्म का मेक-माडल व अन्य विवरण का डेटा तैयार करना होगा जिसकी एक प्रति संबंधित विभाग में जमा करनी होगी।
4. वेंडर/फर्म/कंपनी को प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के उपरांत बिल का भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाएगा। वेंडर को त्रैमास की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर शाखाओं/कार्यालय की विजिट रिपोर्ट (शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर व मुहर सहित) के साथ जीएसटी बिल प्रस्तुत करना होगा।
5. यदि किसी शाखा / कार्यालय में लगे सीसीटीवी/अलर्ट अलार्म में पार्ट्स बदलना आवश्यक हो तो वेंडर द्वारा अनुमोदित न्यूनतम दरों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद पार्ट्स बदलने की कार्यवाही अधिकतम 7 दिनों के भीतर की जाएगी तथा इसका बिल एवं नए पार्ट का वारंटी कार्ड सहित त्रैमास की समाप्ति के बाद एएमसी (AMC) बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. बैंक को अधिकार होगा कि किसी भी या सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दे अथवा असंतोषजनक सेवा पाये जाने पर सफल वेंडर/फर्म/कंपनी से सीसीटीवी/अलर्ट अलार्म की AMC 3 सप्ताह का नोटिस जारी कर निरस्त की जा सकती है।
7. किसी भी वाद की स्थिति में सभी मामले अमेठी न्यायक्षेत्र के अधीन रहेंगे।

दिनांक- 10.05.2022


(छोटे लाल)
क्षेत्रीय प्रबंधक
